	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 15, सोमवार, शाके 1942–जुलाई 6, 2020 *Asadha 15 , Monday, Saka 1942–July 6, 2020*	

भाग-4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 6, 2020

संख्या प.4(10)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राजस्थान पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(2020 का अध्यादेश संख्यांक 8)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 48 का संशोधन.- राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 48 में,-

(i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जिला पुलिस अधीक्षक सूचीबद्धता की प्रक्रिया में निम्नलिखित अधिमानता क्रम को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय या राज्य अर्धसैनिक बल का भूतपूर्व सैनिक/सेवानिवृत्त अर्धसैनिक कार्मिक;

(ख) गृह रक्षा स्वयंसेवक;

(ग) कक्षा आठ उत्तीर्ण करने की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाला गांव का कोई अन्य स्थानीय निवासी।"।

3. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "हटाया जा सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संक्षिप्त प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 में,-

(i) खण्ड (ज) के अंत में आये विद्यमान शब्द "और" को हटाया जायेगा; और

(ii) खण्ड (झ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ञ) गश्त लगाने में पुलिस की सहायता करना; और

(ट) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समनुदेशित किये जायें।"।

5. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 की विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 6, 2020

No. F.4(10)Vidhi/2/2020.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Police (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (2020 Ka Adhyadesh Sankhyank 8) promulgated by him on the 4th day of July, 2020:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN POLICE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
(Ordinance No. 8 of 2020)

(Made and promulgated by the Governor on the 4th day of July, 2020)

An
Ordinance
further to amend the Rajasthan Police Act, 2007.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Police (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- In section 48 of the Rajasthan Police Act, 2007 (Act No. 14 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (2), for the existing expression "30 years", the expression "40 years" shall be substituted; and

(ii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) The District Superintendent of Police shall observe the following order of preference in the process of enlistment, namely:-

(a) Ex-Serviceman/retired paramilitary personnel from Central or State paramilitary force;

(b) Home guard volunteer;

(c) any other local resident of the village possessing minimum educational qualification of having passed Class Eight.".

3. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- In section 49 of the principal Act,-

(i) for the existing expression “three years”, the expression “two years” shall be substituted; and

(ii) in proviso, for the existing expression "village guard shall be removed", the expression "village guard shall be summarily removed " shall be substituted.

4. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- In section 50 of the principal Act,-

(i) in clause (h), the existing word "and" appearing at the end shall be deleted; and

(ii) in clause (i), for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted and after clause (i) so amended, the following shall be added, namely:-

“(j) assisting police in patrolling; and

(k) discharging such other duties as may be assigned by the District Superintendent of Police.”.

5. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- The existing sub-section (2) of section 53 of the principal Act shall be deleted.

कलराज मिश्र,
Governor of Rajasthan.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।